रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1972/आश्विन 5, 1894

No. 429] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 27th September 1972

S.O. 625(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Indulal Kanaiyalal Yagnik, a member elected to that House from 9-Ahmedabad Parliamentary Constituency in the State of Gujarat;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 4th November, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person for fill the said vacancy.

[No. 100/GJ-HP/2/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1972

एस० ओ० 625(अ)—यतः गुजरात राज्य में के 9 अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञनिक की मृत्यु हो जाने से लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 4 नवम्बर, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/गुज०/लो० स०/2/72(1)]

S.O. 626(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 9-Ahmedabad Parliamentary Constituency in the State of Gujarat in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/2/72(1), dated the 27th September, 1972,—

(a) the 4th October, 1972 (Wednesday) as the last date for making nominations;

(b) the 5th October, 1972 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 7th October, 1972 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 29th October, 1972 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 4th November, 1972 (Saturday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/GJ-HP/2/72(2).]

एस० ओ० 626(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज०—लो० स०/2/72(1), तारीख 27 सितम्बर, 1972 के अनुसरण में गुजरात राज्य में के 9 अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में —

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	4 अक्टूबर, 1972 (बुधवार);
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	5 अक्टूबर, 1972 (बृहस्पतिवार);
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	7 अक्टूबर, 1972 (शनिवार);
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा; तथा	29 अक्टूबर, 1972 (रविवार);
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	4 नवम्बर, 1972 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/गुज०/लो० स०/2/72(2)]

S.O. 627(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8-00 a.m. to 5-00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 9-Ahmedabad Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/2/72(1), dated the 27th September, 1972.

[No. 100/GJ-HP/2/72(3).]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 627(अ).—लोक सभा प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 6 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज०-लो० स०/2/72(1), तारीख 27 सितम्बर, 1972 के अनुसरण में 9-अहमदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8-00 बजे पूर्वान्ह से 5-00 बजे अपरान्ह तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/गुज०-लो० स०/2/72(3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रामण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972